भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3784
(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

विकसित भारत पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

3784. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री टी. एम. सेल्वागणपति::
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या विश्व बैंक ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि भारत त्वरित सुधारों और अपनी वार्षिक विकास दर को बढ़ाकर ही 2047 तक अपने "विकसित भारत" के सपने को साकार कर सकता है;

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

ग) क्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में व्यापार बाधाओं तथा अन्य कारकों के पुनर्गठन के कारण भारत की विकास दर वर्तमान 7.2 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत रहने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

घ) सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक "विकसित भारत" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को और और अधिक खोलने हेतु किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): फरवरी 2025 में प्रकाशित 'इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मैमोरेंडम: बिकमिंग ए हाई-इन्कम इकोनॉमी इन ए जनरेशन' शीर्षक वाली विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, त्वरित सुधारों का परिदृश्य भारत को वर्ष 2047 तक उच्च आय स्तर हासिल करने की ओर ले जाएगा। वित्तीय क्षेत्र, श्रम बाजार, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, व्यापारिक सुगमता, कर प्रशासन, सेवा वितरण, विनियामक ढांचा, डिजिटलीकरण और निवेश तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र जैसे क्षेत्रों में सरकार की पहलों और सुधारों से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

(ग) जनवरी 2025 में प्रकाशित 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स' शीर्षक वाली विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत और वर्ष 2025-26 एवं 2026-27, प्रत्येक में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

(घ) केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विज़न को साकार करने के लिए विकास के उपायों और मार्ग को रेखांकित किया गया है। प्रस्तावित विकास उपायों में दस प्रमुख क्षेत्र निहित हैं जिनमें कृषि विकास और उत्पादकता, ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशीलता का निर्माण, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, एमएसएमई की सहायता करना, रोजगार-आधारित विकास को सक्षम बनाना, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और नवाचार को संपोषित करना शामिल हैं। सरकार ने कृषि, एमएसएमई, निवेश तथा निर्यातों की पहचान विकास के इंजन के रूप में तथा कराधान, वित्तीय क्षेत्र, विनियमों और अन्य क्षेत्रों में सुधारों की पहचान समावेशी विकास के उत्प्रेरक के रूप में की है।

***